CODE NO. Not to be filled by the Candidate (अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Fime · 2 Hours	Maximum Marks : 50

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुरितका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सिहत) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बंधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रदद कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- 4. प्रश्न संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
- 5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पन्न—सह—उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थित में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- 7. पलेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प का √ के द्वारा चयन करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
- 8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 9. यदि "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी—फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Booklet"; and not at any other place.
- 2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Booklet" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification and he shall also be liable for penal action under the relevant law.
- 4. The question number and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Booklet".
- 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- 6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- 7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
- 8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 9. In case the "Question Paper-cum-Answer Booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

FOR EXAMINER'S USE ONLY

LUATION TABLE
MARKS
ks (if any)

IN WORDS

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

	e: Attempt all questions. Marks of stion.	each question are mentione	d against the
	समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के	लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित	किये गये हैं।
Que	stion No. 1	[20 Marks]	
Writ	e an essay on any one of the followir	ng in about 500 words –	
(A)	Acquittal and Honorable Acquittal	***	
(B)	Judges speaks through pen only		
	~		
			
			- :
,			
	:		
		ž	
-			
	18		

Que	stion No. 2		[15 Marks]	
Writ	e an essay on any one of the followin	g in about 400	0 words –	
(A)	Historical background of Rajasthan			
(B)	Identity of Rajasthan : Festivals and	l Fairs	8	
(-)				
=				
-				
	,			
-		***************************************		
2		#I*	454	
	in the second			
-				
-				7
- 7				
	1			
-				
-			-	

•			
-			
	^		
_			
Que	stion No. 3	[15 Marks]	
		_	
	e an essay on any one of the following in abou	ut 400 words –	
A)	Chandrayan – 3 : A proud moment		
B)	Falling parliamentary morals in India		
	<u> </u>		
			,,

CODE NO. Not to be filled by the Candidate (अभ्यर्थी द्वारा नहीं मरा जाये)

Time : 2 Hours	Maximum Marks : 50

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सिहत) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बंधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रदद कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही हेतू भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- 4. प्रश्न संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुरितका" में अंकित किये गये हैं।
- 5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- 7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प का ✔ के द्वारा चयन करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
- 8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 9. यदि "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी—फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Booklet"; and not at any other place.
- 2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Booklet" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- 3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification and he shall also be liable for penal action under the relevant law.
- 4. The question number and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Booklet".
- 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- 6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- 7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
- 8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- In case the "Question Paper-cum-Answer Booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

FOR EXAMINER'S USE ONLY

EV	ALUATION TABLE
Q. No.	MARKS
1	
2	
3	
Examiner's Rema	arks (if any)

GRAND TOTAL: IN FIGURES	••
IN WORDS	

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

ques	: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the tion.
	समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।
	संख्या 1 [20 Marks]
निम्नि	लेखित में से किसी एक पर अधिकतम 600 शब्दों में निबन्ध लिखिए—
(अ)	तीन नये आपराधिक कानून : पक्ष और विपक्ष
(ब)	दलबदल कानून : कितना प्रभावी कितना कारगर
-	
,	

प्रश्न संख	या 2	[15 Marks]	
निम्नलिखि	ात में से किसी एक पर अधिकतम 450 शब्दों मे	ां निबंध लिखिए।	
	इते उद्योग – घटती प्राकृतिक विरासत		
(ब) বী	रों की भूमि : राजस्थान		
-			
-			
-			
		<u> </u>	
((
			
		-	
		In the second second	
9		. "	
(3		_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-			7
-			
×			

		•		
		·		
				_
	संख्या 3		[15 Marks]	
निम्ना	लेखित में से किसी एक	पर अधिकतम 450 शब्दों में निबंध ति	Ļ	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र		नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –]
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –]
निम्ना (अ)	लेखित में से किसी एक आधुनिकता की दौड : प्र	गचीन मूल्यों की मृत्यु	नेखिए –	

CODE NO. Not to be filled by the Candidate (अभ्यर्थी द्वारा नहीं मरा जाये)

ime : 3 Hours Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सिहत) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बंधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- 4. प्रश्न संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
- 5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुरितका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मृल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थित में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- 7. फ्लेप पर ''उत्तर के माध्यम'' के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प का ✔ के द्वारा चयन करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
- 8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 9. यदि "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी—फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Booklet"; and not at any other place.
- 2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Booklet" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- 3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification and he shall also be liable for penal action under the relevant law.
- 4. The question number and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Booklet".
- 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- 7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
- 8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 9. In case the "Question Paper-cum-Answer Booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

FOR EXAMINER'S USE ONLY

EVALUATION TABLE				
Q. No.	MARKS	Q. No.	MARKS	
1		12	•	
2		13		
3		14		
4		15		
5		16		
6		17		
7		18		
8		19		
9		20		
10		21		
11		22		

Examiner's Remarks (if any)

GRAND TO	OTAL: IN FIG	GURES	 	
IN WORD	S		 	 _

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Note: Attempt all questions. Marks of each quest question.	tion are mentioned against the
नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित	अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।
Question No. 1	[3 Marks]
What is the procedure to be adopted, when defend	dant refuses to accept service of
summons or cannot be found? Explain with the he	elp of relevant provisions of the
Code of Civil Procedure, 1908.	
प्रश्न संख्या 1	
क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब प्रतिवादी समन की तामील लेने	से इन्कार करता है या नहीं मिलता है?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत प्रावधानों की सहायता	से व्याख्या कीजिए।

JS LP-I 24

Question No. 2			[3	3 Marks]			
Is subsequent suit fo	or rent arrears	maintainab	e after t	he suit for	poss	ession l	nas
been decided? Explai	n.						
प्रश्न संख्या 2							
कब्जे के लिए वाद निर्णीत	त हो जाने के बाद,	क्या बकाया	किराए के	लिए उत्तरवर्त	र्वा वाद	पोषणीय	है?
व्याख्या कीजिए।							
Access that the second							
***************************************						===	-
				0.			

Water to the state of the state							

<u> </u>							

Question No. 3			[3 Mari	ks]			
What is the difference between "C	onstructiv	ve Res Jud	dicata"	and	"Suit	to ir	nclude
whole claim"? Explain.							
प्रश्न संख्या 3							
''रचनात्मक पूर्व-न्याय'' एवं ''वाद के अंतर्ग	ति सम्पूर्ण	दावा होना''	के मध्य	क्या	अन्तर	8?	व्याख्या
कीजिए।							
+							
·							
:							

What are the claims that can be joined for recovery of in	3 Marks] nmovable pro	perty without
the leave of court? Explain.		
प्रश्न संख्या 4		
वे दावे क्या हैं जो न्यायालय की अनुमित के बिना अचल सम्पत्ति के प्र	ात्युद्धरण के लिए	जोड़े जा सकते
हैं? व्याख्या कीजिए।		
		·
B		
		
·		

Question No. 5	[3 N	/larks]	
Anuj, a party, on trial before the I	District Judge, pleaded	I that a dep	osition was
improperly taken by the Civil Judge. V	Vhether Civil Judge be	compelled to	answer the
questions regarding that plea? Explain	n with the help of releva	ant provision	•
प्रश्न संख्या 5			
अनुज, एक पक्षकार, जिला न्यायाधीश के सम	क्ष विचारण में तर्क करता है	कि सिविल न्य	ायाधीश ने एक
बयान अनुचित तरीके से लिया है। क्या सिविव	न न्यायाधीश को उस दलील	के सम्बन्ध में	प्रश्नों का उत्तर
देने के लिए विवश किया जाएगा? सुसंगत प्रा	वधान की मदद से व्याख्या व	ठीजिए ।	
S 			
-			
7			-
; 1			
:			
			*
;			
£			

Question No. 6 "Facts not otherwise relevant become rele	[3 Marks] evant" is based on the principle of essential
inconsistency. Explain with the help of suit	able examples and relevant provision.
प्रॅश्न संख्या 6	
''तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत हो जाते	हैं'' आवश्यक असंगति के सिद्धान्त पर आधारित है।
यथोचित उदाहरण तथा सुसंगत प्रावधान की मदद	से व्याख्या कीजिए।
	ve ve

Question No. 7	[3 Marks]					
Explain the presumption related to "electro	Explain the presumption related to "electronic signature" and "electronic records".					
प्रश्न संख्या 7						
"इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर" एवं "इलैक्ट्रानिक अभिलेखों"	के सम्बन्ध में उपधारणा की व्याख्या	कीजिए।				
2 						
·						
		<u> </u>				
8						
9	,					
e						
	-					
		*				
Z						

Question No. 8		[3 Marks]	
"Whatever relevant is not necessaril	y admissible	but whatever	admissible is
relevant". Explain.			
प्रश्न संख्या 8			
''जो भी सुसंगत है वह आवश्यक रूप से स्वीकृ	त नहीं है परन्	नु जो भी स्वीकृत ह	है वह सुसंगत है''
व्याख्या कीजिए।			
,			
3			-W-
e 			
	-		
·			

	tion No. 9 is the period of limitation and when it begins to rui	[3 Marks]	ing cases –		
A. To set aside an abatement under the Code of Civil Procedure					
В.	To set aside a sale in execution of a decree				
C.	For compensation for a malicious prosecution				
	संख्या 9 मामलों में परिसीमा काल क्या है तथा कब यह चलना आरम्भ ह	ोता है			
क.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपशमन को अपास्त करने	के लिए			
ख.	डिक्री के निष्पादन में विक्रय को अपास्त करने के लिए				
ग.	विद्वेषपूर्ण अभियोजन के निमित्त प्रतिकर के लिए				
A. क.	To set aside an abatement under the Code of Civil सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपशमन को अपास्त करने				
-					
A					
B. ख.	To set aside a sale in execution of a decree डिक्री के निष्पादन में विक्रय को अपास्त करने के लिए				

•
Question No. 11 [4 Marks]
What are the relevant provisions related to preventive detention under the
Constitution of India? Explain.
प्रश्न संख्या 11
भारत के संविधान के अंतर्गत निवारण निरोध से संबन्धित सुसंगत प्रावधान क्या हैं? व्याख्या कीजिए।

Question No. 12	[4 Marks]	
"A contract cannot be specifically enforced w	here a party to the d	ontract has
obtained substituted performance of contract".	While explaining briefl	y the above
statement, describe the provisions regarding sub	stituted performance o	f contract in
the Specific Relief Act, 1963.		
प्रश्न संख्या 12		
''एक संविदा का विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता	जहां संविदा के एक पक्षका	र ने संविदा का
प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है।" उक्त कथन	को संक्षिप्त में स्पष्ट करते	हुए संविदा के
प्रतिस्थापित पालन के संबन्ध में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	, 1963 के प्रावधान उल्लेखित	। कीजिए।
,		
		=
P		
3		
ş		-
		-

,		
	-	N-3-111-1
		1)
	-0	
u a		
Question No. 13	[4 Marks]	
Write a short note on the following-		
A. Noscitur a sociis		
B. Rule of ejusdem generis		
प्रश्न संख्या 13		
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –		
क. Noscitur a sociis (नोसीटर ए सोसिस)		
ख. Rule of ejusdem generis (एजुस्डम जैनेरिस का सिद्धांत)		

A.	Noscitur a sociis	
क.	Noscitur a sociis (नोसीटर ए सोसिस)	
-		
-		
В.	Rule of ejusdem generis	
ख.	Rule of ejusdem generis (एजुस्डम जैनेरिस का सिद्धांत)	
	And Annual Value	
_		

Question No. 14 Distinguish an 'offer' from an 'invitation to offer' under	[4 Marks] the Indian Cont	ract Act. 1872.
Refer to relevant case law.		,
प्रश्न संख्या 14		
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत एक ''प्रस्ताव'' से एव	क ''प्रस्ताव के निमंद	त्रण'' को विभेदित
कीजिए। सुसंगत निर्णित विधि को संदर्भित करें।		
-		

Question No. 15	[4 Marks]	
What is the procedure for recovery of in	mmediate possession, under th	ne Rajasthar
Rent Control Act, 2001.		
प्रश्न संख्या 15		
राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अंत	ार्गत तत्काल कब्जे के प्रत्युद्धरण की व	या प्रक्रिया है?
X 		
<u> </u>		
·		
/		
*		(90)
		
2		_
-	"	
*		

Question No. 16	[6 Marks]	
When the court shall reject an applicatio	n for permission to sue as	indigent person?
Explain by referring the relevant provisior	ns of the Code of Civil Proce	dure, 1908.
प्रश्न संख्या 16		
कब न्यायालय निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने	की अनुज्ञा के लिए आवेदन के	। नामंजूर कर देगा?
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सुसंगत प्रावधानों	को संदर्भित करते हुए व्याख्या की	ोजिए।
		
*		

Question No. 17	[6 Marks]	
What is the procedure for application for o	discovery of documents ar	nd what are the
consequences of non compliance with orde	er for discovery by the cou	urt? What is the
meaning of "production of documents"? Ex	plain with the help of rele	evant provisions
of the Code of Civil Procedure, 1908.		
प्रश्न संख्या 17		
दस्तावेजों के प्रकटीकरण के आवेदन की प्रक्रिया क	ग है और न्यायालय के प्रकटीव	_{करण} के आदेश का
अननुपालन के क्या परिणाम हैं? ''दस्तावेजों का पेश	किया जाना" से क्या अभिप्रेत	है? सिविल प्रक्रिया
संहिता, 1908 के सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व	गख्या कीजिए।	2
ı		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	97	
,		
15		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	,	

	•
Т.	
Question No. 18	[6 Marks]
In which cases secondary evidence related to	documents may be given? Explain with
the help of relevant provision of Indian Evidend	ce Act, 1872.
प्रश्न संख्या 18	
किन मामलों में दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य	। दी जा सकती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 के सुसंगत प्रावधान की मदद से व्याख्या कीजिए।	
	0

Question No. 19	[6 Mai	·ks]	8
What kind of property cannot be transferred? Æ	xplain with	the help	of relevant
provision.			
प्रश्न संख्या 19			
किस प्रकार की सम्पत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती? सुसंग	त प्रावधानों की	मदद से	व्याख्या कीजिए।
	G		
		-	
			
			To the second se
			<

5			
12			
:			
Que	stion No. 20	[6 Marks]	
Writ	e short note on any three of the following –		
A.	Actionable Claim		
B.	Spes Successions		
C.	Usufructuary mortgage		
D.	Subrogation		
E.	Onerous gift		
प्रश्न	संख्या 20		
निम्ना	लेखित में से किन्हीं तीन पर लघु लेख लिखिए—		
क.	अनुयोज्य दावे		
ख.	संभाव्य उत्तराधिकार		
ग.	भोग बंधक		
घ.	प्रत्यासन		
य.	दुर्भर दान		

JS LP-I 24

A.	Actionable Claim				
क.	अनुयोज्य दावे				
-				v .	
	V				0
		(4)			
					0
		·			
	:				
			4		
- 61					
,					
В.	Spes Successions				
ख.	संभाव्य उत्तराधिकार				
-					8
	-				

-		
_		
_		
C.	Usufructuary mortgage	
ग.	भोग बंधक	
		à
-		

		TI T
),	Subrogation	
	प्रत्यासन	
_	Onerous gift	
	दुर्भर दान	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	10	
Question No. 21	[10 Marks]	
Rajiv and his mother filed a suit against defendants	in the year 1960 f	or partition and
separate possession of their one-third share descri	bed in the plaint a	nd for rendition
of accounts. The suit was in respect of non-agricult	ural plots and mov	ables.
The suit was decreed on 25.02.1964 directing a p	oreliminary decree	of partition be
drawn in regard to the one-third share of the pla	intiffs in the said p	lots and a final
decree be drawn up through appointment of a co	ommissioner for a	ctual division of

The defendants filed an appeal before the High Court which was dismissed on 29.03.1974.

The plaintiff filed an application on 01.05.1987 for drawing up a final decree. The defendants filed an application to drop the proceedings of final decree as it is barred by limitation. He further contends that the application for final decree is governed by Article 137 Limitation Act, which provides that where no period of limitation is

the plots by metes and bounds.

provided for any other application in the Limitation Act, the period of limitation is three years.

Write an order dealing with arguements of defendants regarding limitation and what are the essential requirement in a preliminary decree and final decree of partition.

प्रश्न संख्या 21

राजीव और उसकी माता वर्ष 1960 में प्रतिवादियों के विरुद्ध विभाजन तथा वाद में वर्णित अपने एक—ितहाई हिस्से के पृथक कब्जे तथा खातों के प्रतिपादन के लिए वाद दायर करते हैं। वाद गैर—कृषि भूखण्डों तथा चल सम्पत्तियों के बारे में था।

वाद दिनांक 25.02.1964 को उक्त भूखण्डों में वादीगण एक तिहाई हिस्से के सम्बन्ध में प्रारम्भिक डिक्री तैयार करने तथा कमिश्नर नियुक्ति के जिरए मीट्स एवं बाउन्डस द्वारा भूखण्डों के वास्तविक विभाजन पर अंतिम डिक्री तैयार के निर्देश के साथ डिक्री हुआ।

प्रतिवादीगण ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जो दिनांक 29.03.1974 को खारिज कर दी गई।

वादी ने दिनांक 01.05.1987 को अंतिम डिक्री तैयार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने अंतिम डिक्री तैयार करने की कार्यवाही को ड्रॉप करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि यह परिसीमा से बाधित है। उसने आगे तर्क किया कि अंतिम डिक्री का प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अधीन आता है जो प्रावधानित करता है कि जहां परिसीमा अधिनियम में किसी अन्य प्रार्थना पत्र के लिए कोई परिसीमा अवधि नियत नहीं की गई है, परिसीमा अवधि तीन वर्ष की होगी।

परिसीमा के संबन्ध में प्रतिवादीगण के तर्कों त	ाथा विभाजन की प्रारम्भिक	डिक्री एवं अंतिम	डिक्री के लिए
क्या आवश्यक अपेक्षाऐं हैं, की चर्चा करते हुए	एक आदेश लिखिए।		
			
4			
540			

Question No. 22

[10 Marks]

Suresh filed a suit for specific performance of contract and permanent injunction against Ashwani on 12.12.2010. Suresh pleaded that he and Ashwani entered into an agreement to sale on 10.10.2007. Ashwani through this agreement to sale agreed to sell his half share in the property admeasuring five bigha situated in village Rampura for a total sale consideration of Rs. 5 lacs. Suresh pleaded that he paid Rs. 1 lac to Ashwani at the time of agreement to sale. The balance sale consideration is to be paid at the time of registration of sale deed. The sale deed will be registered on 13.12.2007. On 13.12.2007 Suresh reached the office of Sub-Registrar to get the sale deed registered in his favour. He contended that on that day he having the balance sale consideration and sufficiently but Ashwani did not come and he called upon Ashwani but he did not pick up his call. Therefore, he sent a legal notice to Ashwani on 15.12.2007 to rescind the balance sale consideration from him and to get the sale deed registered in his name but Ashwani did not get the sale deed registered in his name but Ashwani did not get the sale deed registered in his name but Ashwani did not get the sale deed registered in his name

Ashwani denied each and every averment of Suresh. He denied that he entered into agreement to sale in favour of Suresh. His signatures were taken by Suresh on some blank papers as Suresh was previously his friend. He further contended that the said property is joint property which cannot be sold off without partition. He did not enter into any agreement to sale with Suresh. No question arises for him to be present at the office of Sub-Registrar on 13.12.2007. He did not receive any notice nor Suresh call him for registration of sale deed. He also contended that if, Suresh had ready and willing to perform his part of contract, he must file the suit immediately and not waited for almost three years.

During the trial Suresh examined himself and one attesting witness of the agreement. Ashwani examined himself before the court.

Frame the issues and write a judgment.

प्रश्न संख्या 22

सुरेश संविदा के विनिर्दिष्ट पालन तथा स्थाई व्यादेश के लिए एक वाद दिनांक 12.12.2010 को अश्वनी के विरुद्ध दायर करता है। सुरेश तर्क करता है कि उसने तथा अश्वनी ने दिनांक 10.10.2007 को विक्रय के लिए एक करार किया। इस विक्रय करार के जिए अश्वनी गांव रामपुरा में अपने आधे हिस्से की पांच बीघा भूमि कुल 5 लाख रुपये के विक्रय प्रतिफल पर विक्रय करने को राजी हुआ। सुरेश ने अभिवचन किया कि उसने विक्रय करार के समय अश्वनी को 1 लाख रुपये अदा कर दिए। बकाया विक्रय प्रतिफल विक्रय पत्र के पंजीकरण के समय अदा किया जाना है। विक्रय पत्र दिनांक 13.12.2007 को पंजीकृत कराया जाएगा। दिनांक 13.12.2007 को सुरेश उप—पंजीयक के कार्यालय में अपने हक में विक्रय पत्र पंजीकृत कराने पहुंच गया। उसका तर्क है कि उस दिन उसके पास बकाया विक्रय प्रतिफल राशि तथा विक्रयपत्र पंजीकृत कराने के खर्चों के लिए पर्याप्त राशि थी। उसने पर्याप्त इंतजार किया परन्तु अश्वनी नहीं आया तथा उसने अश्वनी को फोन किया परन्तु अश्वनी ने फोन नहीं उठाया। इसलिए उसने दिनांक 15.12.2007 को अश्वनी को एक विधिक नोटिस शेष प्रतिफल राशि रदद करने तथा विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत कराने का दिया परन्तु अश्वनी ने उसके हक में विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करवाया जिस कारण वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

अश्वनी ने सुरेश के प्रत्येक कथन को अस्वीकार किया है। उसने सुरेश के हक में विक्रय के करार करने से भी इन्कार किया है। उसके हस्ताक्षर सुरेश ने खाली कागजों पर करा लिए थे चूंकि पूर्व में सुरेश उसका मित्र था। उसने आगे तर्क किया है कि उक्त सम्पत्ति एक संयुक्त संपत्ति है जो विभाजन के बिना बेचान नहीं की जा सकती है। उसने सुरेश के साथ कोई विक्रय का करार नहीं किया था। उप—पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 13.12.2007 को उसके उपस्थित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उसे कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है ना ही सुरेश ने उसे विक्रय पत्र पंजीकृत कराने के लिए कोई फोन किया था। उसने यह भी तर्क दिया है कि सुरेश संविदा के अपने भाग की पालना करने को तैयार और तत्पर था तो उसे तुरन्त ही वाद दायर करना चाहिए था तथा करीब तीन वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहिए था।

विचारण के दौरान सुरेश ने स्वयं को तथा करार के एक प्रमाणक साक्षी को परीक्षित कराया है। अश्वनी ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है। JS LP-1 24

विवाद्यक विरचित करें तथा निर्णय लिखें।	
	d
	·
4	

CODE NO.

Not to be filled by the Candidate (अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

-	
Time: 3 Hours	Maximum Marks: 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सिहत) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बंधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- 4. प्रश्न संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अंकित किये गये हैं।
- 5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- 8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Booklet"; and not at any other place.
- 2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Booklet" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- 3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification and he shall also be liable for penal action under the relevant law.
- 4. The question number and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Booklet".
- 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- 6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- 7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
- 8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 9. In case the "Question Paper-cum-Answer Booklet" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

FOR EXAMINER'S USE ONLY

Q. No.	MARKS	Q. No.	MARKS
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8		19	
9		20	
10		21	
11		22	
xamine	r's Remarks (if any)	

GRAND TOTAL: IN FIGURES
IN WORDS

SIGNATURE OF EXAMINER(S)

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.
नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।
Question No. 1 [3 Marks]
What do you mean by commutation of sentence of death and imprisonment for life?
Explain.
प्रश्न संख्या 1
मुत्यु दण्डादेश एवं आजीवन कारावास के दण्डादेश के लघुकरण से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए।

Question No. 2	[3 Marks]	
Anurag instigates Manveer to commit the	e murder of Savita. The off	fence is not
committed. Whether Anurag has commit	ted any offence? if so, wha	ıt maximum
punishment can be awarded to him?		
प्रश्न संख्या 2		
अनुराग, मनवीर को सविता की हत्या करने के लिए		
है। क्या अनुराग ने कोई अपराध कारित किया है?	यदि हां, तो उसे अधिकतम कितना	दण्ड दिया जा
सकता है?		
·		

Question No. 3	[3 Marks]				
Define briefly the procedure of arrest and duties of officer making arrest.					
प्रश्न संख्या ३					
गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वालं	ने अधिकारी के कर्तव्यों की संक्षेप में व्य	गख्या कीजिए।			
	A				
•					
. N					

Question No. 4	[3 Marks]					
What is the summary procedure for trial for giving false evidence?						
प्रश्न संख्या 4						
मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया क्या है?						
i a						
5						
S						
3						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3						
	47					
-						

Question No. 5	[3 Marks]	
Manmohan prosecutes Nirmala for the theft of	his car, wherein, Nirmal	a is convicted
for the offence of theft. Later on, Manmohan fi	les a suit for the possess	ion of his car
against Yogesh, to whom Nirmala had sold that	car. Make brief comme	nts about the
relevancy of the said judgement of the convic	tion of Nirmala, in the	suit between
Manmohan and Yogesh.		
प्रश्न संख्या 5		
मनमोहन अपनी कार की चोरी के लिए निर्मला को अभिर	ग्रोजित करता है, जिसमें निर्म	ला को चोरी के
अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। बाद में, मनमोह	न एक वाद योगेश जिसे निग	निला ने वह कार
बेच दी थी, के विरुद्ध अपनी कार के कब्जे के लिए दायर	करता है। मनमोहन तथा योग	ोश के मध्य वाद
में, निर्मला की दोषसिद्धि के उक्त निर्णय की सुसंगतता पर	एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।	

Question No. 6 Explain briefly		limits n	nentioned	under		larks] 138 of the	Negotiable
Instruments Act	t, 1881.						
प्रश्न संख्या 6							
परक्राम्य लिखत अ	धिनियम, 188	1 की धार	ा 138 में अंवि	केत समय	सीमाओं व	की संक्षेप में व्य <u>ा</u>	ख्या कीजिए।
:							
,							
							-
Para Colores and C							
(-							
·			9			17	
-						<u> </u>	
				-			
: 							
							
		×					
S-1							
-							

Question No. 7	[3 Marks]	
Explain briefly the provision under the Pr	obation of Offenders Act, 1958,	regarding
removal of disqualification attaching to co	nviction.	
प्रश्न संख्या 7		
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दोषि	प्रेद्धि में संलग्न, निरर्हता को हटाये जाने	से सम्बन्धित
प्रावधान की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।		
	<u> </u>	

Question No. 8	[3 Marks]	
A publisher publishes a book "How to feed	a child", wherein, nacked	breast of a
woman feeding milk to a child is shown. Whe	ther such publication should	d be banned
under the provisions of the Indecent Repre	sentation of Women (Proh	ibition) Act,
1986?		
Explain briefly with the help of relevant provis	ions of law.	
प्रश्न संख्या 8		
एक प्रकाशक ''शिशु को दूध कैसे पिलाएं'' नामक पुर	तक प्रकाशित करता है, जिसमें	एक महिला के
नग्न स्तन बच्चे को दूध पिलाते हुए दर्शित किए गये हैं	। क्या ऐसी पुस्तक के प्रकाशन प	र महिलाओं का
अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत रोव	p लगाई जानी जाहिए।	
विधि के सुसंगत प्रावधानों की मदद से संक्षेप में व्याख्या	कीजिए।	
:		
8		
*		
<u></u>		

Question No. 9	[3 Marks]	
According to the provisions of The Prote	ction of Children From Sexua	al Offences Act,
2012, what is the "Presumption of culpal	ole mental state"?	
प्रश्न संख्या 9		
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,	2012 के प्रावधानों के अनुसार, "3	गपराधिक मानसिक
दशा की उपधारणा'' क्या है?	· ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
		1-19
·		

Question No. 10	[3 Marks]	
What action can be taken during the pender	ncy of inquiry, on a written requ	iest made
by the aggrieved woman under the Sexua	l Harassment of Women at V	Vorkplace
Prevention, Prohibition and Redressal) Act,	2013? Explain in brief.	
ाश्न संख्या 10		
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवा		
अंतर्गत जांच के लम्बित रहने के दौरान व्यथित महित	ना के लिखित अनुरोध पर क्या कार्यव	ग्रही की जा
सकती है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।		

Question No. 11		[41	Viarks]				
When the right of private defence of body a	nd prop	erty co	mmen	ce and	l up	to wi	hen
it continues? Explain briefly.							
प्रश्न संख्या 11							
शरीर एवं सम्पत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व संक्षेप में समझाइए।	कब प्रारम्भ	होता है	एवं क	ब तक	बना	रहता	考?
							_
•							

Question No. 12	[4 Marks]
Explain briefly the procedure of altera	ation of allowances granted under section 125
of the Code of Criminal Procedure, 193	73.
प्रश्न संख्या 12	
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के	अंतर्गत दिये गये भत्ते में परिवर्तन करने की प्रक्रिया की
संक्षेप में व्याख्या कीजिए।	
	•

Question No. 13	[4 Marks	s]
During the investigation of a murder case	in Delhi, investigating o	fficer come to know
that the evidence of a Japanese citizen	residing in Japan is ve	ry important in the
matter. What is the procedure of recording	ng of the evidence of t	hat witness? Explain
with relevant provisions of law.		
प्रश्न संख्या 13		
दिल्ली में एक हत्या के अपराध के अन्वेषण के दौ	रान, अन्वेषण अधिकारी के इ	ज्ञान में यह बात आती है
कि जापान में रहने वाले एक जापानी नागरिक की		
साक्ष्य लेखबद्ध करने की क्या प्रक्रिया है। विधि के		
S		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	-
Question No. 14	[4 Marks]
What is the meaning of "Protection Ord	lers" under the provisions of the Protection of
Women from Domestic Violence Act, 20	005?
प्रश्न संख्या 14	
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम	म, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ''संरक्षण आदेश'' का
तात्पर्य क्या है?	
:	
: 	
; ;	
	
(

Question No. 15	[4 Marks]	
"Under the Protection of Children from Sexu	ual Offences Act, 2012, trial must b	e
conducted in the open court and child must b	e so capable that during trial so as t	:0
talk to the accused by making an eye con	tact." Make a short note about th	ie
correctness of above statement, with the help	of relevant provisions of law.	
प्रश्न संख्या 15		
''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 201	2 के अंतर्गत विचारण खुले न्यायालय में हो	ना
चाहिए तथा बालक इतना सक्षम होना चाहिए कि विचारण	ा के समय अभियुक्त की आंख में आंख डालक	ग्र
बात कर सके।''		
विधि के सुसंगत प्रावधानों की मदद से उक्त कथन की स	ात्यता के सम्बन्ध में एक लघु लेख लिखें।	
6		_
		_
4		T
E		_
S		
S		_
7		_
·		

	10
· Miles	
:	<u> </u>
Question No. 16	[6 Marks]
Every murder is culpable homicide but e	
	very culpable normicide is not marde
Explain.	
प्रश्न संख्या 16	
प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध है परन्तु प्रत्येक	ज्ञापराधिक मानव वध हत्या नहीं है। व्याख्
कीजिए।	

Question No. 17 [6 Marks]

Virendra is posted as station house officer of police station Civil Lines. His wife Rajwati is posted as clerk in electricity department. Both of them were not on talking terms and Rajwati started living with her parents in the same city and lodged First Information Report against Virendra under section 498A and 406 India Penal Code. Rajwati brought to police station Civil Lines after arresting for the offence of theft of Government property from her office. Virender committed sexual intercourse with Rajwati without her consent within the limits of the police station. Rajwati prosecuted Virendra for the offence of rape. With the help of relevant provisions of law, explain the criminal liability of Virendra.

प्रश्न संख्या 17

वीरेन्द्र थाना सिविल लाइन्स में भारसाधक अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। उसकी पत्नी राजवती विजली विभाग में लिपिक के पद पर पदस्थापित है। दोनों में बोलचाल बन्द है तथा राजवती उसी शहर में अपने माता पिता के साथ रहने लगती है तथा वीरेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा 498क व 406 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराती है। राजवती को अपने दफ्तर से सरकारी सम्पत्ति चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार कर थाना सिविल लाइन्स में लाया जाता है। वीरेन्द्र थाने की सीमाओं में राजवती की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सम्भोग करता है। राजवती वीरेन्द्र को बलात्कार के अपराध के लिए अभियोजित करती है। विधि के सुसंगत प्रावधानों की मदद से वीरेन्द्र के आपराधिक दायित्व की व्याख्या कीजिए।

व्याख्या कीजिए।						
	0					
					•	
					1	
			3(4)			

		11/2
Question No. 18	[6 Marks]	
When police may arrest without warrant? Explain.		
	6	
प्रश्न संख्या 18		
पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? व्याख्या की	जेए।	

Question No. 19 [6 Marks]
"Prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt."
Explain the above statement in detail with the help of relevant provisions of law
What are the circumstances when such burden shifts upon the accused?
प्रश्न संख्या 19
''अभियोजन पक्ष को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।''
उक्त कथन की विधि के सुसंगत प्रावधानों की मदद से विस्तृत व्याख्या कीजिए। वह कौनर्स परिस्थितियां हैं जब यह भार अभियुक्त पर स्थानान्तरित हो जाता है?

Ques	tion No. 20	[6 Marks]			
Expla	in any three of the following keeping in view of th	e definitions pro	vided under		
the Ju	uvenile Justice (Care and Protection of Children) Act	, 2015 –			
A.	Child in conflict with law				
B.	Aftercare				
C.	District Child Protection Unit				
D.	Group Foster Care				
E-	Place of Safety				
प्रश्न	संख्या 20				
	ं न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ान रखते हुए निम्नलिखित में से किन्ही तीन को स्पष्ट कीजिए		नेत परिभाषाओं		
अ.	विधि का उल्लंघन करने वाला बालक				
ब.	पश्चातवर्ती देखरेख	•			
स.	जिला बाल संरक्षण एकक				
द.	सामूहिक पोषण देखरेख				
य.	सुरक्षित स्थान				
A.	Child in conflict with law				
अ.	विधि का उल्लंघन करने वाला बालक	*			
	Marin - control	niong.	*		

	-1			
_				
				v
_				
	_			
B.	Aftercare			
ब.	पश्चातवर्ती देखरेख			
	·			
-				
-				

	·
District Child Protection Unit	9
जिला बाल संरक्षण एकक	
	et.
Group Foster Care	
सामूहिक पोषण देखरेख	

E- Place of Safety	
य. सुरक्षित स्थान	

JS LP-II 24 Page 38 of 52

Question No. 21

[10 Marks]

One day, 16 years old Akashdeep along with his friends organize a liquor party in a bar up to 2 am. After getting drunk, at 2 am, he was going alone to his home by BMW car. Simran Kaur along with her 4-year-old son Montu was standing on the side of road near the tea stall of Shankar. Akashdeep while driving the car at a speed of 100 Km per hour struck against them. As a result of which, grievous hurts were caused to Simran Kaur and Montu died at the spot. First Information Report was lodged and after completion of investigation chargesheet was filed against Akashdeep. Charge framed and explained to Akashdeep, thereupon, he denied the charge and claimed trial. During trial prosecution produced eye witnesses Simran Kaur & Shankar and expert who conducted mechanical inspection of car, investigating officer, Station House Officer, Bar operator and the doctors who conducted medical of Simran Kaur & Postmortem of Montu, as witnesses. All the witnesses had supported the prosecution story.

Frame Charge and write a logical judgment.

प्रश्न संख्या 21

एक दिन, 16 वर्षीय आकाशदीप अपने दोस्तों के साथ सुबह दो बजे तक एक बार में शराब की पार्टी का आयोजन करता है। वह नशे में धुत्त होकर सुबह दो बजे बीएमडब्ल्यू कार से अकेला अपने घर जा रहा था। सिमरन कौर अपने चार साल के बेटे मोन्टू के साथ शंकर की चाय की थड़ी के पास सड़क के किनारे खड़ी थी। आकाशदीप 100 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से कार चलाते हुए उनको टक्कर मार देता है। जिसके फलस्वरूप सिमरन कौर को गम्भीर उपहित कारित होती है तथा मोन्टू की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तथा अनुसंधान पूर्ण होने पर आकाशदीप के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया जाता है। आकाशदीप को आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसपर उसने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी साक्षीगण सिमरन कौर व शंकर एवं कार का मैकेनिकल मुआयना करने वाले विशेषज्ञ, अन्वेषण अधिकारी, थाने के भारसाधक अधिकारी, बार संचालक तथा सिमरन कौर का मेडिकल व मोन्टू का पोस्टमार्टम

करने वाले डॉक्टरों को गवाहान के रूप में पेश किया। सभी	गवहान न आमयाजन	कहाना का समथन
किया		
आरोप विरचित कीजिए और एक तर्कसंगत निर्णय लिखिए।		
		F
	·	
		·
	-	
·		
	-	

		100

Question No. 22

[10 Marks]

An accused namely Sandeshpal was being taken by a police party from Ahmedabad to Agra by a Jeep for producing before the court. In Dausa district, Sandeshpal asked the police team for urinating. On this, Jeep was stopped and one constable Harish after handcuffing Sandeshpal alighted from Jeep for urinating. Suddenly, Sandeshpal gives a powerful punch at the abdomen of Harish and fled away with handcuffs. First Information Report was lodged at the police station. Sandeshpal was arrested and after completion of investigation, charge sheet was filed. During trial, all the members of police party, Investigating Officer, Station House Officer, witness of the arrest of Sandeshpal and doctor who conducted medical examination of Harish were produced as witnesses and all the witnesses had given positive evidence.

Frame Charge and write a logical judgment.

प्रश्न संख्या 22

पुलिस की एक टोली संदेशपाल नाम के एक अभियुक्त को अहमदाबाद से आगरा न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए जीप से ले जा रही थी। दौसा जिले में, संदेशपाल पुलिस की टोली से पेशाब करने को कहता है। जिसपर जीप रोकी जाती है तथा एक सिपाही हरीश हथकड़ी लगाकर संदेशपाल को पेशाब कराने के लिए जीप से उतरता है। अचानक, संदेशपाल हरीश के पेट में एक जबरदस्त घूंसा मारता है तथा हथकड़ी के साथ वहां से भाग जाता है। पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की जाती है। संदेशपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र पेश किया जाता है। विचारण के दौरान, पुलिस पार्टी के सभी सदस्यों, अन्वेषण अधिकारी, थाने के भारसाधक अधिकारी, संदेशपाल की गिरफ्तारी के साक्षी तथा हरीश का मेडिकल मुआयना करने वाले डाक्टर को साक्षी के रूप में पेश किया जाता है तथा सभी साक्षीगण सकारात्मक साक्ष्य देते हैं।

आरोप विरचित कीजिए और एक तर्कसंगत निर्णय लिखिए।

SPACE FOR ROUGH WORK/रफ कार्य हेतु स्थान

JS LP-II 24 Page 52 of 52